न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–48 / 2016 / भीलवाड़ा (2016 / 00098)

1. नारायणलाल पुत्र मांगीलाल नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. मदनलाल पुत्र मांगीलाल नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती रतनी पुत्री मांगीलाल नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा हा0 मु0 मुरोली तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ।
4. श्रीमती संतोकी पुत्री मांगीलाल नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा हा0मु0 महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती रूकमणी पुत्री मांगीलाल नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

अपीलांट

बनाम

1. नारूलाल पुत्र रामा नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. भूरालाल पुत्र रामा नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. मथुरालाल पुत्र रामा नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती बरदी पत्नी स्व0 रामा नायक आयु वयस्क निवासी कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर लोक अदालत सह कैम्प कोर्ट नांदशा दिनांक 15.6.15 अंतर्गत प्रकरण संख्या 02 / 2015.

उपस्थितः–

1. श्री मदन लाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री शोकिन्दलाल गंर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेट संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2019

1- अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा के न्यायालय में दिनांक 17.12.14 को अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलांटस के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजाकाला ढूँढा तहसील सहाडा के बेरून हल्का आबादी में सम्वत्

2030 से 2033 की जमाबंदी में आराजी खसरा संख्या 123/4 रकबा 6 बीघा कृषि भूमि स्व0 रामा पुत्र किशना नायक के खातेदारी में दर्ज थी। रामा जी के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण उनके उत्तराधिकारी होकर खातेदार दर्ज है। मौजा कालाढूढा में भू प्रबंध कार्यवाही होने से पुरानी आराजी खसरा संख्या 123/4 रकबा 6 बीघा के नवीन आराजी खसरा संख्या 52 रकबा 1.03 है0 व 53 रकबा 0.27 है0 बने एवम् पुरानी आराजी संख्या 123/4 का नक्शा आमली रास्ता से लगा हुआ तथा विपक्षीगण की आराजी भी रेस्पोडेंट/अपीलांट की आराजी से लगी हुई है। सेंटलमेंट के दौरान रस्पोडेंट/अपीलांटस की कृषि आराजी में विपक्षीगण की आराजी संख्या 54 अंकित कर दी व रेस्पोडेंट/अपीलांटस की आराजी खसरा संख्या 52 को विपक्षीगण की आराजी संख्या 58 में अंकित कर दी गई। प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमियों की पत्थरगढी कराई तब पता चला कि विपक्षीगण की आराजी में रेस्पोडेंट/अपीलांट की आराजी का नक्शा बना दिया व रेस्पोडेंट/अपीलांट की पुराने नक्शे में विपक्षीगण की आराजी संख्या 54 अंकित कर दी। भू प्रबंध अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की पुरानी आराजी संख्या 123/4 में से कुछ भाग विपक्षीगण की आराजी संख्या 54 अंकित कर दी गई जबकि पुराने नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पुराने नक्शानुसार आराजी संख्या 123/4 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 58 में अपीलांट/रेस्पोडेंट की आराजी संख्या 52 में बढा दिया गया जिसकी शुद्धि कराना आवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक आराजी खसरा संख्या 123/4 रकबा 6 बीघा के नवीन खसरा नं0 52 व 53 की भूमि साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शें में तरमीम किये जाने एवं अपीलांटस के हाल आराजी संख्या 54 व 58 को हाल नक्शे में से हटाये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। अपीलांट ने यह अपील निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर लोक अदालत सह कैम्प कोर्ट में मु0 संख्या 2/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.6.15 से क्षुब्ध होकर धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील से संबंधित अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। रेस्पोडेंट के अभिभाषक बावजूद तामीली के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3- अपीलांट अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय दिनांक 15.6.15 नियम विरूद्ध होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा निर्णय पारित कर दिया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांता के विरूद्ध है।

4- प्रकरण में बहस जारी रखते हुए अपीलांट के विद्धांन अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने आराजी खसरा संख्या 58 के खातदोर लहरूलाल पुत्र देवा को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते

हुए भी उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया। लहरूलाल खातेदार काश्तकार को बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित कर दिया जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। साबिक नक्शे के अनुसार आराजी खसरा संख्या 52 व 53 को नये नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश पारित कर दिये जबकि तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब में स्पष्ट व सही स्थिति से अवगत कराया गया था तथा रेस्पोंडेंटस के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की अभिशंषा की थी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वास्तविक स्थिति से अवगत कराये जाने के उपरांत भी तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5- अपीलांट अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेंट अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रामा पुत्र किशना नायक के नाम दर्ज थी जिसका पुराना खसरा नं0 123/4 है। प्रश्नगत भूमि नामांतरकरण संख्या 100 दिनांक 20.11.1973 से खातेदारी मे परिवर्तित हुई जो जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 से स्पष्ट है। नये खसरा नं0 52 रकबा 1.03 है0, 53 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 हुए। साबिक नक्शे व हाल नक्शे का मिलाने पर स्पष्टतया प्रतीत होता है कि साबिक आराजी नं0 123/4 रकबा 6 बीघा का हाल नक्शा अनुसार तरमीम नहीं किया गया है बल्कि साबिक आराजी नं0 54 रकबा 0.48 है0 भूमि में मिला दिया गया है। साबिक आराजी नं0 123/5 बीधा भूमि देवा पिता श्रीराम नायक साकिन देह के नाम रेकार्ड में दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 57 दिनांक 29.5.93 के द्वारा विरासत से देवा के बजाय लहरूलाल, मांगीलाल, गोपीलाल पुत्र देवा, ऐजी बेवा देवा नायक के नाम दर्ज की गई जो रेकार्ड में दर्ज है। इस आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी नं0 52 रकबा 1.03 है0, 53 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि नारूलाल, भूरालाल, मथुरालाल पुत्र रामा व बरदी बेवा रामा नायक साकिन देह के नाम दर्ज है तथा हाल आराजी नं0 54 रकबा 0.48 है0 भूमि मांगीलाल पिता देवा नायक साकिन देह के नाम दर्ज थी। विरासत के नामांतरकरण संख्या 488 दिनांक 7.10.14 के जरिये मांगीलाल के बजाय नारायणलाल, मदनलाल, रतनी, संतोकी पिता मांगीलाल के नाम से दर्ज हुई। अभिभाषक रेस्पोडेट ने बहस में कथन किया कि जब साबिक नक्शे में खसरा नम्बर 124/5 साबिक आराजी नं0 123/4 के आस–पास भी नक्शें में अंकित नहीं है तो किस आधार पर भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा तरमीम किया गया। प्रश्नगत भूमि का वास्तविक रूप से सेटलमेंट के बाद साबिक नक्शे के अनुसार ही वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जाना अपेक्षित था परंतु वर्तमान नक्शे में हाल आराजी नं0 54, 55,56 व 58 को हाल आराजी नं0 52, 53 के साथ नक्शे में अंकित कर दिया जबकि उक्त खसरा नं0 पृथक रूप से अंकित किये जाने थे, परंतु इन्हें एक साथ दर्शा दिया जो तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है एवं इस त्रुटि को संशोधित करने के लिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

तरमीम के लिये विधिसम्मत आदेश प्रदान किये गये है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय यथावत रखा जावे।

6- हमने अधीनस्थ न्यायालय व कार्यालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में मुख्यतः यह स्थिति प्रकट होती है कि ग्राम कालाढूँढा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में स्थित साबिक आराजी नं0 123 / 4 रकबा 6 बीघा के हाल नं0 52 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 53 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 रकबा 1.30 है0 भूमि के क्रम में भू प्रबंध की कार्यवाही में साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे अनुसार तरमीम नहीं की है, जो एक तकनीकी त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा भी इसी त्रुटि को संशोधित किये जाने के क्रम में साबिक नक्शे अनुसार नये नम्बर में तरमीम किये जाने के ही आदेश दिये है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस त्रुटि के संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जो यह प्रमाणित करते हो कि प्रश्नगत विवादित भूमि के साबिक नक्शे अनुसार ही नये नक्शे में तरमीम की गई है एवम् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्यों के विपरीत है। अतः उक्त विवेचन के क्रम में अपील निरस्त योग्य पाई जाती है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

7- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील संख्या 48 / 2016 / एल.आर. एक्ट / भीलवाडा(2016 / 00098) बउनवान नारायणलाल बनाम नारूलाल व अन्य को खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा का निर्णय दिनांक 15.06.15 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.28 18:46:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: